न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 15 / 2025	2025 / 136	20.05.2025	08.07.2025

1.सोडूराम पुत्र श्री किशोर, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम टोडा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

——अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर (राज०)।

——असल रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार राजगढ़ दिनांक 20.02.2025 प्रकरण संख्या 20 / 24

उपस्थितः—
01.श्री वीरेन्द्र मेहरा —वकील अपीलाण्ट
02.राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ़ के निर्णय दिनांक 20.02.2025 प्रकरण संख्या 20 / 2024 जिसके द्वारा अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमित रकबे से बेदखल कर लगान स्वरूप शास्ति राशि आरोपित की गयी, से व्यथित होकर पेश की है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपो0 को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

वकील अपी0 द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आलोच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 20—02—2025 प्रकरण संख्या 20 / 2024 की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न कर अपील के साथ पेश की जा रही हैं। तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्ट को नोटिस जेर दफा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जारी किया गया। मिन अपीलान्ट ने तामील होने पर अपने अभिभाषक के साथ तहत अदालत में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश कर दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का अवसर चाहा गया। मिन अपीलान्ट को वकील साहब ने जवाब नोटिस पेश करने के बाद आश्वासन दिया था, कि तहत अदालत से जो भी निर्णय होगा, उसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को दे देगें, जिस आश्वासन पर विश्वास कर मिन अपीलान्ट आलोच्य निर्णय के दिन नेकनियति व सदभावनापूर्वक तहत अदालत में उपस्थित नही था, मिन अपीलान्ट के वकील साहब उपस्थित थें। तथा मिन अपीलान्ट के वकील साहब द्वारा मिन अपीलान्ट को काफी समय से प्रकरण में हुई, कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं दी गई। आलोच्य निर्णय तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्ट की गैरमौजूदगी व गैरजानकारी में पारित करने के कारण मिन अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी उक्त आलोच्य निर्णय की किसी तरह की नहीं थी। मिन अपीलान्ट को आलोच्य निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14—05—2025 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर बेदखल करने व पेनेल्टी वसूल करने का प्रयास कर मौखिक रूप से उक्त आलोच्य निर्णय की जानकारी देने पर हुई। जिस पर मिन अपीलान्ट ने दिनांक 15—05—2025 को तहत अदालत में जानकारी कर नकल के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 16—05—2025 को तैयार होकर दिनांक 16—05—2025 को सांयकाल प्राप्त हुई। दिनांक 17—05—2025 को अलवर राजस्थान आकर नकल व कागजात वकील साहब को दिखाकर कानूनी राय ली गई, तो वकील साहब ने अविलम्ब अपील न्यायालय श्रीमान में पेश करने की कानूनी राय दी। इसके बाद दिनांक 18—05—2025 से अपील करने के लिए आवश्यक खर्चे का इंतजाम कर वकील साहब से अपील आदि तैयार कराकर आज अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 14—05—2025 से अन्दर मियाद अदालत श्रीमान में प्रस्तुत की जा रही हैं। आलोच्य निर्णय तहत अदालत दिनांक 20—02—2025 से सर्वप्रथम जानकारी की दिनाक 14—05—2025 तक का समय मिन अपीलान्ट की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य हैं। जहां निर्णय आरम्भ से ही अवैध व शुन्य हों, तथा पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित किया गया हों, वहां मियाद का बिन्दु गौण हो जाता हैं। ऐसे निर्णय को न्यायहित में कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता हैं, मियाद की कोई पावन्दी नही हैं। ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त हैं।

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलान्ट न्यायहित में सर्वप्रथम जानकारी की उक्त दिनांक 14–05–2025 से अन्दर मियाद ग्रहण किया जाना अतिआवश्यक हैं। जिसके लिये प्रार्थनापत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से अपील के साथ अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा हैं।

आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 1.6186 हैक्टर किस्म डहरी 2 में से रकबा 0.10 हैक्टर वाके ग्राम टोडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान मे स्थित हैं। उक्त आराजी के सम्बन्ध में पटवारी हल्का टोडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान द्वारा एक रिर्पोट न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान के समक्ष पेश कर अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर अतिक्रमण कर जोत करना जाहिर किया गया हैं। जिस पर अपीलान्ट को उक्त तहत अदालत द्वारा प्रकरण सं. 20/2024 दर्ज कर नोटिस अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 जारी किया गया। जिस पर अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत में उपरिथत होकर जवाब नोटिस पेश किया गया, तथा दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का अवसर चाहा गया। तत्पश्चात तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट के खिलाफ कार्यवाही करते हुये, अपीलाधीन आलोच्य निर्णय दिनांक 20–02–2025 को पारित किया गया है। जिस निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील बिना किसी देरी अदालत श्रीमान में पेश की जा रही हैं। आलोच्य निर्णय तहत अदालत बेजा व विधि विरुद्ध एवं मौके व कब्जे तथा राजस्व रिकार्ड के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य है, निरस्त फरमाया जावें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 1.6186 हैक्टर किस्म डहरी 2 में से रकबा 0.10 हैक्टर वाके ग्राम टोडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं, जिस पर मिन अपीलाण्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया हैं। पटवारी हल्का ने मौके के खिलाफ बिना कोई पैमायश किये, अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट तहत अदालत में पेश की हैं। जिस पर तहत अदालत द्वारा बिना जांच किए अपीलाण्ट के खिलाफ नोटिस जारी कर आलोच्य निर्णय पारित किया हैं। जो गलत एवं मौके के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय हैं, निरस्त फरमाया जावें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। मिन अपीलाण्ट को जो नोटिस अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 तहत अदालत द्वारा जारी किया गया हैं, वह नोटिस कानूनन गलत बिना किसी साक्ष्य के बेवजह तंग व परेशान करने की नियत से जारी किया गया है। विवादित आराजी खसरा नंबर 67 रिथत ग्राम टोडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान सिवायचक जमीन नहीं हैं. ना मूर्ति मन्दिर की जमीन रही हैं, बल्कि मूर्ति मन्दिर के नाम गलत खातेदारी में दर्ज कर रखी हैं, जबकि यह जमीन हमारी बुजुर्गानी कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही हैं। वक्त लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पहले से ही हमारे बुजुर्ग रामप्रसाद व उसके बाद मैं व भाई ओमकार, भौरेलाल का कब्जा चला आ रहा हैं, भौरेलाल व ओमकार के मरने के बाद उनके वारिसान दिनेश, शिवचरण व राजेन्द्र का कब्जा चला आ रहा हैं। विवादित आराजी खसरा नंबर 67 के पुराने साबिक खसरा नंबर 48 थे, जिसकी जमावंदी संवत 2012 में अपीलान्ट के बाबा रामप्रसाद गैरमौरूसी साल 12 दर्ज हैं, तथा जमाबंदी संवत 2016 में बाबा रामप्रसाद के नाम गैरखातेदारी में दर्ज हैं। तथा जिसका इन्द्राज जमाबंदी सम्वत 2020 में भी हैं, उसके बाद सम्वत 2022–2028 के सैटिलमेन्ट ने हमारे बाबा रामप्रसाद को उसका कब्जा काश्त की जमीन मानते हुऐ, हमारे पूर्वजो पिताओ को खातेदारी दे दी थी। बाद में मूर्ति मंदिर के नाम गलत खिलाफ कानून व मौका खातेदारी में दर्ज हो गई, जिसकी दुरूस्ती व हमारे नाम खातेदारी दर्ज करने हेतु सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान में दावा बअनुवान सेडूराम एवं अन्य वादीगण (बनाम) राजस्थान सरकार जरिये जिला कलैक्टर अलवर राजस्थान एवं अन्य प्रतिवादीगण विचाराधीन हैं। मामला सक्षम अदालत में विचाराधीन हैं। इसलिए तहत अदालत को उक्त राजस्व अदालत में विचाराधीन उक्त वाद का निर्णय होने तक अपीलान्ट के खिलाफ कोई बेदखली की कार्यवाही नही कर प्रकरण की कार्यवाही स्थिगित रखनी चाहिए थी। परन्तु तहत अदालत ने कोई गौर नहीं किया। इसलिए आलोच्य निर्णय तहत अदालत निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

विवादित आराजी पर मिन अपीलाण्ट ने कोई नाजायज अतिक्रमण नहीं किया है, पटवारी हल्का ने बिना मौका निरीक्षण किये, व बिना पैमायश किये, तहत अदालत में अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। मिन अपीलाण्ट अतिक्रमी नहीं हैं। लेकिन तहत अदालत ने बिना मौका निरीक्षण किये, पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर आलोच्य निर्णय पारित किया हैं। जो निरस्त किये जाने योग्य हैं, निरस्त फरमाया जावें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। मिन अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत में उपस्थित होकर दिनांक 23–01–2025 को जवाब नोटिस पेश किया

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

गया, तथा दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का अवसर चाहा गया। लेकिन तहत अदालत ने दिनांक 20–02–2025 की आदेशिका में मिन अपीलान्ट की उपस्थिति दर्ज की हैं, जबकि मिन अपीलान्ट उपस्थित नहीं था, मेरे वकील साहब उपस्थित थे। तहत अदालत द्वारा जवाब नोटिस पेश करने के उपरान्त मिन अपीलान्ट को कोई सुनवाई एंव दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। जिस कारण से मिन अपीलाण्ट अपना पक्ष तहत अदालत के समक्ष नहीं रख सका। इसलिए तहत अदालत द्वारा बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिए, तथा अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना आलोच्य निर्णय पारित किया है। जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं, निरस्त फरमाया जावें। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। तहत अदालत ने अपीलाधीन आलोच्य निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, पारित किया हैं। जिससे निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। अन्य उजरात तथ्य दौराने बहस जुबानी अदालत श्रीमान के समक्ष अर्ज किए जावेंगें।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन हैं, कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 20–02–2025 प्रकरण संख्या 20/2024 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 निरस्त फरमाया जावे। तथा अपीलान्ट को नोटिस अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के भार से मुक्त फरमाया जावें। महति कृपा होगी।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई। पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का टोडा की संवत 2081 की रिपोर्ट दिनांक 21.10.2024 के अनुसार सेडूराम पुत्र किशोर शर्मा द्वारा विवादित आराजी खसरा नं0 67 रकबा 1.6186 है0 किस्म डहरी 2 में से 0.10 है0 रकबे पर जोत लगाकर अतिक्रमण किया जाना बताया गया है। विवादित भूमि की किस्म डहरी 2 है तथा वर्तमान जमाबंदी के अनुसार उक्त आराजी खसरा न0 मंदिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज विराजमान हि0 पूर्ण सा0 देह0 खातेदार रिकॉर्ड दर्ज है। वकील अपीलांट द्वारा कथन किया कि विवादित आराजी पूर्व से ही हमारे बुजुर्गान की खातेदारी की आराजी रही है किन्तु अपीलांट द्वारा स्वयं या बुजुर्गान की खातेदारी के संबंध में कोई ठोस तथ्य/सबूत/दस्तावेज पेश नहीं किये, केवल जुबानी तौर पर कहने से आराजी पर खातेदारी सिद्ध नहीं होती है। पत्रावली पर आए तथ्यों के विश्लेषण से एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 20.02.2025 पारित किया गया है, जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 20.02.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सत्यमेव जयते प्रशासन (द्वितीय) अलवर